INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

पेपर-2

राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट

(कनिष्ठ लेखाकार एवं T.R.A. भर्ती परीक्षा)

HANDWRITTEN NOTES

भाग -2

भारतीय अर्थशास्त्र + राजस्थान सेवा नियम + G.F. & A.R.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान
जूनियर अकाउंटेंट
(कनिष्ठ लेखाकार एवं TRA परीक्षा हेतु)
पेपर – 2

भाग – 2

भारतीय अर्थशास्त्र + राजस्थान सेवा नियम + GF & AR

<u>प्रस्तावना</u>

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट (कनिष्ठ लेखाकार एवं TRA भर्ती परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **"राजस्थान लोक सेवा आयोग"** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट (कनिष्ठ लेखाकार एवं TRA)" की** परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/3ewvb9

Online Order करें - https://shorturl.at/dtwEK

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2023)

	भारत की अर्थव्यवस्था	
क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं	1-6
2.	बजट एवं बजट निर्माण	6-15
3.	बैंकिंग	16-38
4.	लोक वित्त	39-43
5.	वस्तु एवं सेवा कर	44-48
6.	राष्ट्रीय आय	48-55
7.	संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान	56-57
8.	स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार	58-62
9.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ	63-65
10.	मुद्रास्फीति – अवधारनाएं, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र	66-70
11.	भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र	71-75
12.	आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहलें	76-83
13.	गरीबी एवं बेरोजगारी	83-86
14.	बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ	87-88
15.	विदेशी व्यापार	88-89
16.	सार्वजनिक क्षेत्र	90-91
17.	निर्धनता (गरीबी)	91-94
18.	केंद्र सरकार की योजनाएं	94-98

	Rajasthan Service Rule	
क्र. सं.	अध्याय	पेज. नंबर
1.	लघु शीर्षक और प्रारंभ	99 – 99
2.	परिभाषाएँ	99 – 107
3.	सेवा की सामान्य शर्तें	107 – 113
4.	अवकाश	114 – 121
5.	अवकाश धारा I. सामान्य –	121 – 133
6.	विदेश सेवा	133 – 138
7.	स्थानीय निधि के अंतर्गत सेवा	138 – 140
8.	सेवा का अभिलेख	141 – 142
9.	प्रतिनिधिमंडल	143 – 146
	GF & AR भाग-I	
1.	परिचयात्मक	147 – 149
2.	वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण की सामान्य प्रणाली	149 – 154
3.	राजस्व और प्राप्तियां	155 – 156

4.	सरकारी धन की प्राप्तिउसकी अभिरक्षा और , ऐसे धन का भुगतानकोषागारों में।	157 – 163
5.	मंजूरी की शक्तियां	164 – 166
6.	I- भुगतान -सामान्य निर्देश	167 – 180
7.	धनवापसी और विविध व्यय	181 – 186
8.	सहायता अनुदान आदि	187 – 192

अध्याय – 1

अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएँ

परिचयः-

- Economics (अर्थशास्त्र) शब्द एक Greek word ' Oikonomia ' से उत्पन्न हुआ है ।
- Oikonomia शब्द Oikos and Nomos दो शब्दों से मिलकर बना है ।
- Oikos का अर्थ गृह अथवा परिवार जबकि Nomos का का अर्थ है प्रबंधन । अर्थात् Oikonomia गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है ।
- यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र भी गृह प्रबंधन की इसी प्रक्रिया का अध्ययन करता है।
- यह इस बात का अध्ययन करता है कि किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग कर अपने व्यय को पूरा करता है , परन्तु यह अर्थशास्त्र की सबसे साधारण परिभाषा है । अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक विषय है , जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन वितरण एव उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है ।
- अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थव्यवस्था है एवं वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण एवं उपभोग से ही अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है ।
- एडम स्मिथ (Adam Smith: 1723-1790) को अर्थशास्त्र का जनक (Father of Economics) कहा जाता है।
- उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन्स (The wealth of Nations : 1776) में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है।
- भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को माना जाता है।

अर्थशास्त्र किसे कहते हैं?

- अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन संबंधी एवम शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। अंततः धन से संबंधित अध्ययन की प्रणाली को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं।
- अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग, विनिमय, वितरण, आदि का अध्ययन किया जाता है।
- परंतु जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था मे परिवर्तन होने के कारण अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनेक नई शाखाएं जोड़ी गई है
- जैसे जनकल्याण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय इत्यादि को धन के अंतर्गत रखा गया है।
- अर्थशास्त्र का विषय है जहाँ हम आर्थिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं आर्थिक वस्तुएँ सेवाओं से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं ताकि आर्थिक कल्याण से जुड़ी आर्थिक निर्णय तक पहुँच सके।
- मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है।
- मनुष्य अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता रहता है इन्हें अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है।

अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं?

- अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहार है, अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब उपभोग मे लाया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते है।
- अर्थशास्त्र के व्यावहारिक अध्ययन को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
- अर्थव्यवस्था वह काल्पनिक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुएँ सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है।
- जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर?:-

अर्थशास्त्र	अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है	अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है	अर्थव्यवस्था निष्पादन (Execution) की भूमिका निभाती है।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है इनकी किताब (The Wealth of nations) मे अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है।	जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं ।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ है- (i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics) (ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)	अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था

	और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
	अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economic)

- अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं -

(i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)
(ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र (MICRO ECONOMICS)

- व्यष्टि अर्थशास्त्र को ' सूक्ष्म अर्थशास्त्र ' भी कहा जाता है ।
- व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे - छोटे पहलुओं अर्थात् व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जैसे- एक उपभोक्ता एक उत्पादक एक फर्म अथवा एक उद्योग एक बाजार इत्यादि ।
- अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति फर्म घरेलू कार्य की नीति निर्धारण , यथा उत्पादन उपभोग मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है ।
- व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्त्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है ।
- व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे- माग और पूर्ति का अध्ययन मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है ।

व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्त्वपूर्ण घटक

उपभोक्ता व्यवहार सिद्धात- इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके ।

उत्पादक व्यवहार सिद्धात- इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उस किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके ।

कीमत सिद्धांत – "कीमत सिद्धांत" व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है । कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है ।

समष्टि अर्थशास्त्र (MACRO ECONOMICS)

- समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद् अर्थशास्त्र भी कहा जाता है ।
- समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात् संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक संवृद्धि आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके ।
- समष्टि अर्थशास्त्र आय रोजगार और संवृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है।
- समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है ।

समष्टि अर्थशास्त्र के महत्त्वपूर्ण घटक

- राजकोषीय नीतियाँ एवं मौद्रिक नीतियाँ
- सरकारी बजट
- मुद्रा की पूर्ति एवं साख सृजन
- अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं अवस्कीतिक
- अंतराल से संबंधित सिद्धांत
- विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन
- रोजगार से संबंधित सिद्धांत
- समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति अर्थात् संतुलित उत्पादन से संबंधित सिद्धांत

अर्थव्यवस्था के प्रकारः-

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy):-

- जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
- अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है।

- एडम स्मिथ की 'दा वेल्थ ऑफ़ नेशन' पूँजीवाद को दार्शनिक आधार प्रदान करता है।
- अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देश पूँजीवाद के समर्थक है।

पूँजीवाद के फायदे या गुणः-

- पूंजीवाद नवाचार को बढ़ावा देता है।
- पूँजीवाद और समाज दोनों स्वतंत्रता और अवसर पर केंद्रित हैं।
- पूँजीवाद आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
- पूँजीवाद स्व-नियामक है।
- पूँजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद करता है।

पूँजीवाद के नुकसान या दोषः-

- धन और आय के वितरण की असमानता
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य के रूप में कक्षा संघर्ष
- सामाजिक लागत बहुत अधिक है
- पूँजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता
- बेरोजगारी और रोजगार के तहत
- वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है

B. समाजवाद अर्थव्यवस्था

- उत्पादन एवं वितरण के सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है।
- राज्य द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र की भूमिका से लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति।
- भारत,बाग्लादेश,ब्राजील,समेत विकासशील अधिकांश देश समाजवाद के समर्थक हैं।
- बौद्ध और जैन धर्म का अस्तेय आवश्यकता से अधिक संसाधनों के एकत्रीकरण का विरोध करता है, जो समाजवाद की अवधारणा के अनुकूल है।
- अशोक के शिलालेखो से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती हैं, वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में प्रमाण देता है।
- इसी प्रकार मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण, बेरोजगारों के लिए पेंशन जैसी समाजवादी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

समाजवाद के पक्ष में तर्क या गुणः-

शोषण का अन्तः-

- समाजवाद
- श्रमिको एवं निर्धनो के शोषण का विरोध करता है। इसलिये विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते है।

सामाजिक न्याय पर आधारितः-

- समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितो को महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितो को महत्व दिया जाता है यह व्यवस्था पूँजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करती है जिसमें विषमता न्यनूतम हो।

उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यक्ताः-

- व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में समाजिक आवश्यक्ता और हित को ध्यान में रखकर उत्पादन होगा क्योंकिसमाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसख्यक लोगो के लाभ के लिए हो।

उत्पादन पर समाज का नियंत्रण :-

- समाजवादियो का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनो पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है।
- सभी को उन्नति के समान अवसर
- साम्राज्यवाद का विरोधी

समाजवाद के विपक्ष में तर्क अथवा आलोचना :-

राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि :-

- समाजवाद मे आर्थिक तथा राजनीतिक दोनो क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और समपादित नहीं होंगे।

वस्तुओं के उत्पादन में कमी :-

- समाजवाद के आलोचको की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनो पर सम्पूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी और कार्यक्षमता भी धीरे धीरे घट जायेगी।
- व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जायेगी।

समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी :-

- प्रजातंत्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है वही समाजवाद में वह राज्य रूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पूर्जा बन जाता है।

नौकरशाही का महत्व :-

- समाजवाद में राज्य के कार्यों में वृद्धि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता है। और सभी निर्णय

बजट 2022-23

केंद्रीय बजट 2022-23- वित्तीय प्रबंधन

- बजट अनुमान 2021-22:- 83 लाख करोड़ रुपए
- संशोधित अनुमान 2021-22:- 70 लाख करोड़ रुपए
- वर्ष 2022-23 में कुल व्यय:- 45 लाख करोड़ रुपए
- वर्ष 2022-23 में उधार के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 84 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं
- चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा:- सकल घरेलू उत्पाद का 9% (बजट अनुमान में 6.8% के मुकाबले)
- वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4% रहने का अनुमान है

आर्थिक वृद्धि:-

- भारत की आर्थिक वृद्धि 2% होने का अनुमान है जो समस्त वृहद अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है।

रोजगार:-

- 14 क्षेत्रों में उत्पादकता सहलग्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।
- पीएलआई योजनाओं में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन सृजित करने की क्षमता है।

विकास प्राथमिकताएं:-

अमृत काल में प्रवेश करते हुए, भारत @ 100 के लिए 25 वर्ष की लंबी पहुंच, बजट चार प्राथमिकताओं के साथ विकास को गति प्रदान करता है-

- ✓ पीएम गति शक्ति
- ✓ समावेशी विकास
- ✓ उत्पादकता वृद्धि एवं निवेश, नवोदित एवं विकासशील अवसर, ऊर्जा संक्रमण तथा जलवायु कार्रवाई।
- ✓ निवेश का वित्तपोषण

केंद्रीय बजट 2022-23: प्रधानमंत्री गति शक्ति

- पीएम गति शक्ति को संचालित करने वाले सात इंजन निम्नलिखित हैं-
- ✓ सड़कें,
- ✓ रेलवे,
- ✓ हवाई अड्डे,
- ✓ बंदरगाह,
- ✓ जन परिवहन,
- ✓ जलमार्ग एवं
- ✓ सम्भारिकी अवसंरचना(लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर)।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय कार्य योजना

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय कार्य योजना के दायरे में आर्थिक रूपांतरण, निर्बाध बहुविध अनुयोजकता (मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी) एवं सुप्रचालनिकी (रसद) दक्षता के लिए सात इंजन सम्मिलित होंगे।
- नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ संरेखित किया जाएगा।

सड़क परिवहन

- 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20000 करोड़ रुपये अभिनियोजित किए जाएंगे।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

बहुविध अनुयोजकता पार्क/मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

- चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में पीपीपी मोड के माध्यम से अनुबंध प्रदान किए जाएंगे।

रेलवे

- स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा।
- 2022-23 में 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच, स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं क्षमता संवर्धन के अंतर्गत लाया जाएगा।
- आगामी तीन वर्षों के दौरान नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा।
- आगामी तीन वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

पर्वतमाला

पर्वतमाला, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा।

- 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबाई की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध प्रदान किए जाएंगे।

केंद्रीय बजट 2022-23: समावेशी विकास

कृषि

- 63 करोड़ किसानों को गेहूं एवं धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान।
- संपूर्ण देश में रासायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभिक फोकस गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारे में किसानों की भूमि पर है।
- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने हेतु संमिश्रित पूंजी के साथ निधि की सुविधा प्रदान करेगा।
- फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन'।

केन बेतवा परियोजना

- केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1400 करोड़ का परिव्यय।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की 08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

एमएसएमई

- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस तथा असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा।
- 130 लाख एमएसएमई ने आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया
- ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक विस्तारित किया जाएगा।
- ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये अरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

कौशल विकास

- ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल, पुनः कौशल अथवा कौशल संवर्धन हेतु सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड (DESH-Stack e-portal) प्रारंभ किया जाएगा।
- 'ड्रोन शक्ति' की सुविधा के लिए एवं ड्रोन-ए-ए-सर्विस (DrAAS) हेतु स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा।

केंद्रीय बजट 2022-23- शिक्षा

- पीएम ई विद्या के वन क्लास-वन टीवी चैनल के कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण विचार कौशल एवं कृत्रिम अधिगम के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब एवं स्किलिंग ई-लैब की स्थापना की जाएगी।
- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से वितरण हेतु उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री विकसित की जाएगी।
- वैयक्तीकृत अधिगम अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

केंद्रीय बजट 2022-23- स्वास्थ्य

- बजट 2022-23, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मुक्त मंच प्रदान करता है जिसे आरंभ किया जाना है।

अध्याय – 3

बैंकिंग

- बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता की धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है।
- लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं।
- बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं।

भारत में बैंकिंग

- भारत में स्थापित पहली बैंक Bank of Hindustan थी इसकी स्थापना Alexandey and Company 1770ई. में की थी कुछ समय बाद यह बैंक बन्द हो गई।
- इसके बाद देश में निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा तीन प्रेसीडैन्सी बैंकों की स्थापना की गई - वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल (Bank of Bengal.) , वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे (Bank of Bombay) तथा वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास (Bank of Madras) ।
- इन तीनों बैंकों पर बैंक ऑफ मद्रास अपना नियंत्रण रखती थी । बाद में इन बैंकों के कार्यों को सीमित कर दिया गया । वर्ष 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Impe rial Bank of India) की स्थापना की गई और । जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया ।
- भारत में पहली सीमित देयता वाला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जिसकी स्थापना फैजाबाद में वर्ष 1881 में की गयी थी ।
- उसके बाद वर्ष 1894 में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई जो पहला पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था ।

भारत में स्थापित प्रमुख बैंक व उनकी स्थापना

बैंक का नाम	स्थापना वर्ष
द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान	1770
बैंक ऑफ बंगाल	1806
बैंक ऑफ बॉम्बे	1840
बैंक ऑफ मद्रास	1843
इलाहाबाद बैंक	1865
एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला	1881
अवध कॉमर्शियल बैंक	1881
पंजाब नेशन बैंक	1894
बैंक ऑफ इंडिया	1906
पंजाब एंड सिंध बैंक	1908
बैंक ऑफ बडोंदा	1909
सेंण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1911
बैंक ऑफ मैसूर	1913
इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1935
भारतीय स्टेट बैंक	1955

भारतीय रिजर्व बैंक

- भारत का केन्द्रीय बैंक है ।
- वर्ष 1930 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (R.B.I.) की स्थापना RBI अधिनियम, 1934 के तहत् । अप्रैल , 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से हुई थी ।
- । जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ (1935-37) थे ।
- देश के स्वतंत्रता के समय में RBI के गर्वनर सर सी डी . देशमुख (1943-49) थे ।
- रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केन्द्रीय संचालक मण्डल (Central Borad of Directors) द्वारा होता है ।
- सम्पूर्ण देश में इसे चार भागों में बाँटा गया है - उत्तरी क्षेत्र , दक्षिणी क्षेत्र , पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र ।
- इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड (Local board) होता है ।
- केन्द्रीय बोर्ड में । गवर्नर तथा अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं , जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार पाँच वर्षों के लिए करती है ।

बैंक दर (Bank Rate)	• भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, बैंक दर कहलाता है । • **प्रभाव-** बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों की ब्याज दर पर पड़ता है । इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों की कुल वैधानिक जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर उनके मूल कोटे निर्धारित कर दिया गया । • निर्धारित कोटे की सीमा तक रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण लिया जा सकता है । इससे अधिक ऋण देने पर बैंक दर के अतिरिक्त ब्याज की दंड दर (Penal rate) देनी पड़ती है । • बैंक दर में वृद्धि या कमी व्यावसायिक बैंक द्वारा आवंटित ऋणों पर ब्याद दर कम या ज्यादा करने के लिए होता है । • NOTE : बेस रेट वह दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते हैं । यह वर्ष 2010 में पूर्व प्रचलित प्राइम लैंडिंग रेट नोट (PLR) के स्थान पर अपनाया गया है
नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio)	• प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुछ जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास सदैव नकद रूप में रखता है जिसे नकद आरक्षण अनुपात (CRR) कहते हैं । • रिजर्व बैंक इस नकद पर कोई ब्याज बैंक को नहीं देता है । जब रिजर्व बैंक साख मुद्रा वृद्धि करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में कमी कर देता है । और यदि वह साख मुद्रा में कमी करना चाहता है , तो वह इस अनुपात में वृद्धि कर देता है ।
वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)	• प्रत्येक बैंक को कुल जमाराशि के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नकद रूप में या अन्य तरल परिसम्पत्तियों के रूप में (सोना अनुमोदित प्रतिभूतियाँ- सरकारी प्रतिभूतियाँ) रखना पड़ता है जिसे वैधानिक तरलता (SLR) कहा जाता है । • यदि रिजर्व बैंक को साख मुद्रा का प्रसार करना होता है , तो इस अनुपात को कम कर दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोषों में वृद्धि हो सके । • यदि साख का संकुचन करना होता है , तो इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है , ताकि बैंकों के पास तरल कोष कम उपलब्ध हो ।
रेपो दर (Repo Rate)	• रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता है । • इसका प्रभाव व्यावसायिक बैंकों द्वारा आवंटित ऋणों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है । • इसका प्रयोग तात्कालिक मुद्रा के प्रसार में वृद्धि या कमी के लिए किया जाता है । • मंदी के दौरान रेपों दर में कटौती की जाती है ताकि मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हो । ज्यों - ज्यों मंदी का दौर खत्म होता है , रेपो दर से वृद्धि की जाती है ताकि तात्कालिक मुद्रा का प्रसार कम हो ।
रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)	• यह रेपो दर से उल्टी होती है । बैंकों के पास दिनभर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है । बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाए रिजर्व बैंक में रख सकते हैं , जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है । जिस दर पर यह ब्याज मिलता उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं ।
मार्जिनल स्टैंण्डिंग फैसिलिटी (MSF)	• इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक । दिन (24 घण्टे) हेतु ऋण प्राप्त कर सकते हैं । • MSF के माध्यम से बैंक अपनी NDTL के 2.5% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं । • इसमें SLR में रखी प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकते हैं । • यह सुविधा मात्र वाणिज्यक बैंकों को उपलब्ध है । MSF की ब्याज दर Repo rate से 0.25 % अधिक होती

NOTE- खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Opera tions)

- खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केन्द्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण - पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है । केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है , जिससे साख का सन्तुलन होता है और प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा साख का विस्तार हो जाता है ।
- तरलता की दृष्टि से प्रतिभूतियों एवं ऋणों का अनुक्रम है – नकद, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स (इन्हें बंद किया जा चुका है), ट्रेजरी बिल्स तथा कॉल मनी ।

ऋणदर का सीमांत लागत (MCLR)

- यह अप्रैल, 2016 में प्रभावी हुआ ।
- यह फ्लोटिंग - रेट ऋणों के लिये एक बेंचमार्क ऋण दर है ।
- यह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं ।
- यह दर चार घटकों- धन की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुपात, परिचालन लागत और परिपक्वता अवधि पर आधारित है ।
- MCLR वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है । इसलिए जब जमा दरों में वृद्धि होती है तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है ।
- इसका उद्देश्य RBI द्वारा किए गए परिवर्तन का लाभ बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है ।

(B) गुणात्मक विधियाँ

- ➢ इन विधियों द्वारा साख के प्रवाह को आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट या विशेष क्षेत्र की ओर मोड़ते या सीमित करते हैं ।
- ➢ गुणात्मक विधियों कुछ सीमा तक परिमाणात्मक विधियों का भी अश रहता है ।
- ➢ ये विधियाँ निम्न है –

1. सीमांत आवश्यकता (Margin Requirement) : सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है । जैसे- मान लीजिए किसी व्यक्ति ने100रु. मूल्य का माल बैंक के पास जमानत के रूप में रखा है और बैंक उसे 80रु. का ऋण देता है । इस स्थिति में सीमांत आवश्यकता 20% होगी । यदि अर्थव्यवस्था की किसी विशेष व्यावसायिक क्रिया के लिए साख के प्रवाह को सीमित करना है तो उस क्रिया के लिए सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाएगा । इसके विपरीत यदि साख का विस्तार किया जाना है तो सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है ।

2. साख की राशनिंग (Rationing of Credit) : साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना है । साख की राशनिंग तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे पर रोक लगानी होती है । केन्द्रीय बैंक विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख का कोटा निर्धारित कर देता है । ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक कोटे की सीमा अधिक ऋण नहीं दे सकते ।

3. प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action) : केंद्रीय बैंक को उन बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी पड़ती है जो उसकी साख नीति का पालन नहीं करते । प्रत्यक्ष कार्यवाही के अन्तर्गत ऐसे वाणिज्यिक बैंकों की देश की बैंकिंग प्रणाली के सदस्यों के रूप में मान्यता को रद्द कर दिया जाता है ।

4. नैतिक प्रभाव (Moral Suasion) : कभी - कभी केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है । केंद्रीय बैंक का लगभग सभी वाणिज्यिक बैंकों पर नैतिक प्रभाव होता है । अतः सामान्यतः ये बैंक केंद्रीय बैंक साख के विस्तार या संकुचन करने की सलाह को मान लेते हैं । मुद्रास्फीति के समय बैंकों को साख के प्रवाह को सीमित करने तथा अवस्फीति के दौरान उदारता से ऋण देने का केंद्रीय बैंक परामर्श देता है ।

NOTE- नैतिक प्रभाव में मनाने तथा दबाव डालने का मिश्रण पाया जाता है । केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी मौद्रिक नीति का पालन करने के लिए मनाता है । अन्यथा उन पर दबाव डालकर अपनी नीति को मनवाता है यदि यह असफल होता है तो केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों की मान्यता रद्द (Derecognition) शामिल है । मौद्रिक नीति का एक उपकरण होने के कारण नैतिक प्रभाव एक मात्रात्मक उपाय भी है और एक गुणात्मक उपाय भी यद्यपि इसे गुणात्मक उपाय की श्रेणी में रखा जाता है ।

अध्याय – 10

मुद्रास्फीति – अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र

- परिभाषा- वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में निरंतर बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे महंगाई कहते हैं।
- मुद्रास्फीति हमारे बजट को प्रभावित करती है। इसके कारण किसी भी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है। वास्तव में मुद्रा के क्रय क्षमता में उत्पन्न इस कमी को ही मुद्रास्फीति कहते हैं।
- प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना ऐसे डाकू से की है जो कि अदृश्य रहता है।
- मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव समाज के निम्न वर्ग पर पड़ता है। मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के पास अधिवर्ष होता है। जिसे किसी संपत्ति में निवेश किया जा सकता है। जैसे - मुद्रास्फीति के कारण उपभोग महंगा होगा। उस संपत्ति के मूल्य में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी जो कि मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को निरस्त कर देगी। चूंकि मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी को संबोधित करती है।
- हर वह मुद्रा जिसकी क्रय क्षमता शुन्य हो जाती है उसे परिचालन से बाहर कर दिया जाता है। वर्तमान में 50 पैसा वह न्यूनतम मूल्य की मुद्रा है जिसका भारत में वैधानिक प्रयोग किया जा सकता है। परंतु इसका प्रयोग ₹10 तक के भुगतान के उपभोग तक ही किया जा सकता है। यदि मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़े तब ऐसी स्थिति में देने वालों को घाटा होता है। जबकि ऋणी को लाभ होता है।

मुद्रा की मात्रा	= वृद्धि
मुद्रा का मूल्य	= कमी
समग्र मांग	= वृद्धि
समग्र पूर्ति	= कमी
वस्तुओं का मूल्य	= वृद्धि

<u>मुद्रास्फीति के प्रकार</u> - कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. Demand push inflation (मांग प्रेरित मुद्रास्फीति)
2. Cost push inflation (लागत प्रेरित मुद्रास्फीति)
3. Structural inflation (संरचनात्मक मुद्रास्फीति)

Demand Push Inflation (मांग प्रेरित मुद्रास्फीति)

- यह किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता (मुद्रा की आपूर्ति) ज्यादा हो या तो आय में बढ़ोतरी के कारण अथवा बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति के कारण तब उपभोक्ता का उपभोग बढ़ता है। यदि इस बढ़ते हुए उपभोक्ता मांग की सही मात्रा में सही समय पर आपूर्ति ना हो पाए तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी।
- यदि मांग में बढ़ोतरी के कारण सकल मांग, सकल आपूर्ति को पार कर जाए तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में चूंकि रोजगार के अवसर निरंतर उत्पन्न होते हैं। इस बढ़ते रोजगार के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
- मांग प्रेरित मुद्रास्फीति आर्थिक संवृद्धी से भी संबंधित होती है क्योंकि बढ़ती हुई मांग उत्पादन को भी बढ़ावा देती है।
- किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर को कम करने का प्रयास किया जाता है। परंतु बेरोजगारी की दर उसी गति से कम की जाती है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण से बाहर ना कर दे।
- इसे NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) कहते हैं।

Cost Push Inflation (लागत प्रेरित मुद्रास्फीति)

- प्रत्यक्ष तौर पर मांग नहीं परंतु अप्रत्यक्ष तौर पर मांग होती है। यह मांग में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न नहीं होती है।
- लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन की प्रक्रिया में होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात कच्चे माल अथवा किसी भी अन्य प्रकार की लागत में बढ़ोतरी हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवा स्वतः महंगी हो जाती है। उदाहरण स्वरूप डीजल जो कि परिवहन एवं उत्पादन की प्रक्रिया में इंधन का एक प्रमुख स्रोत है, महंगा हो जाए तब अंतिम उत्पादित वस्तु स्वतः महंगी हो जाएगी।

Structural Inflation (संरचनात्मक मुद्रास्फीति)

- यह किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं में कमी हो एवं इससे मुद्रा स्थिति उत्पन्न हो तब यह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाती है।
- संरचनात्मक मुद्रास्फीति जमाखोरी (Hoarding), व्यवसायिक समूह करण (Cartelization), कालाबाजारी (Black Marketing) इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है।

- **जमाखोरी (Hoarding)** - यदि एक व्यापारी अथवा बिचोलिया किसी वस्तु को उत्पादक से अत्यधिक मात्रा में खरीद कर उसे बाजार तक न पहुँचने से

लंबे समय तक उस वस्तु को अपने गोदाम में रख ले, जिससे बाजार में उस वस्तु की कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाए। तब यह जमाखोरी कहलाती है।

- **व्यवसायिक समूह करण (Cartelization)** - किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य मांग एवं आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। यदि इन वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा को दरकिनार कर आपसी सहमति से मूल्यों में बढ़ोत्तरी कर दी। तब यह व्यवसायिक समूह करण कहलाता है।
- **कालाबाजारी (Black Marketing)** - यदि एक अनिवार्य वस्तु जिसे सरकार सस्ते मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। परंतु विक्रय वस्तु को बाजार में उच्च मूल्य पर बेच दे तब यह कालाबाजारी कहलाती है।

- भारत क्योंकि एक विकासशील देश है रोजगार के अवसरों के उत्पन्न होने के कारण मांग प्रेरित मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है।
- भंडारण एवं वितरण की सुविधाओं में कमी के कारण संरचनात्मक मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि कच्चे माल अथवा अन्य संसाधनों की कमी के कारण लागत पर मुद्रा स्थिति उत्पन्न होती है।
- भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण की जिम्मेदारी RBI की है। परंतु आरबीआई मात्र मांग आधारित स्थिति को ही उचित रूप से नियंत्रण नियंत्रित कर सकती है। लागत प्रेरित एवं संरचनात्मक मुद्रा स्फीति पर का नियंत्रण नही होता है। अतः केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग के बिना मुद्रास्फीति का नियंत्रण संभव नहीं है।

दर के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति जिस दर से बढ़ती है उस आधार पर इसे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मुद्रास्फीति के प्रकार	**दर**
सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति (Galloping inflation)	10 – 20%
भागती हुई मुद्रास्फीति (Runaway Inflation)	100 – 200%
अति मुद्रास्फीति (Hyper Inflation)	1000%

मुद्रा संकुचन / अपस्फीति (Deflation) -

- यह मुद्रास्फीति का विपरीतार्थक अर्थात् मंहगाई का विलोम है।
- अपस्फीति वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि की अवस्था को दर्शाती है। ऐसा मुख्यतः दो परिस्थितियों में देखा जाता है।
  1. यदि सकल आपूर्ति सकल मांग को पार कर जाए
  2. यदि सकल मांग सकल आपूर्ति से नीचे चली आए
- सामान्यतः मांग में कमी तरलता में कमी के कारण एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होती है।
- जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुँच जाए जैसे कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं तब यह भी मांग में कमी को जन्म देती है।
- यदि देश की अधिकांश जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या हो जाए तब से भी मांग प्रभावित होती है।

पुनर्स्फीती (Reflation) Or संस्फीति

- जब निरंतर अपस्फीति के उपरांत वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज हो तब यह पुनर्स्फीती कहलाती है।

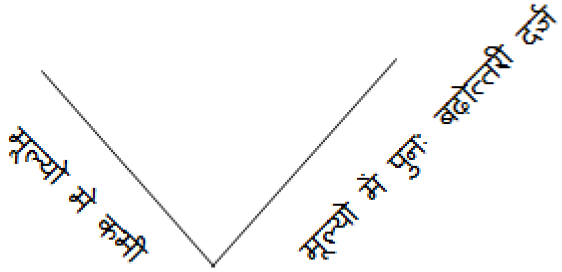

- पुनर्स्फीती / संस्फीति सामान्यतः आर्थिक मंदी के दौर में सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रदान किए गए बाह्य समर्थन से उत्पन्न होती है।
- मांग में कमी के कारण मूल्य नीचे जाते हैं। अतः मांग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करती है। जबकि सरकार कर में कटौती करती है। ऐसी स्थिति में मांग के साथ-साथ मूल्य में भी बढ़ोतरी देखी जाती है।

निस्पंद (Stagflation)

- स्टैगफ्लेशन (Stagflation) स्टैगफ्लेशन शब्द का निर्माण स्टैगनेशन व इन्फ्लेशन दो शब्दों को मिलाकर हुआ है । स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को इंगित करता है । जब मुद्रास्फीति की दर व बेरोजगारी दोनों ही उच्च अवस्था में पहुँच जाती है । ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

मुद्रा प्रत्ययवस्फीति (Reflation)

- मुद्रा प्रत्यवस्फीति एक प्रकार से नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है । जब कभी मुद्रा अवस्फीति की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत नीचे गिर जाती है ,

अध्याय – 14

बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ

- भारत में कार्यरत 71 **प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (बहुराष्ट्रीय निगम) देश को अपने वैश्विक विस्तार के लिये एक महत्त्वपूर्ण गंतव्य** मानती हैं।
- भारत ने पिछले एक दशक में FDI में लगातार वृद्धि दर्ज की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 में महामारी और भू-राजनीतिक विकास के प्रभाव के बावजूद 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं ।
- भारत को **वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एक उभरते हुए विनिर्माण केंद्र,** विकसित होते उपभोक्ता बाजार और वर्तमान डिजिटल परिवर्तन के केंद्र के रूप में देखा जाता है।
- 60% से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने माना है कि **विगत तीन वर्षों में** व्यापारिक वातावरण में सुधार हुआ है।
- विकास की चुनौतियों की पृष्ठभूमि में **बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य मानती हैं** एवं व्यापार के विस्तार की योजना बना रही हैं।

- **आशावादिता की वजह:**
- बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में किये गए निवेश से पता चलता है **कि भारत विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे की आपूर्ति और निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिये बिलकुल तैयार है।**
- **घरेलू खपत में मजबूत गति, एक विस्तारित सेवा क्षेत्र, डिजिटलीकरण, और विनिर्माण तथा बुनियादी ढाँचे पर सरकार का ज़ोर भारत के विकास के बारे में आशावादिता के मुख्य कारक हैं।**
  - **अमेरिका और चीन के बाद भारत में अनुमानित वास्तविक खपत वृद्धि सबसे अधिक है** और वर्ष 2025 तक, तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- **सुझाव:**
  - भारत के लिये आर्थिक विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने का समय आ गया है, जिसमें मुक्त व्यापार समझौतों के निष्कर्ष को तेज़ करना, व्यापार करना आसान बनाने के लिये निरंतर सुधार, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना और वस्तु तथा सेवा कर में सुधार आदि शामिल हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :

- **परिचय:**
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है।
- **FDI किसी निवेशक को** एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
  - निवेशक कई तरह से FDI का लाभ उठा सकते हैं।
- दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण या विलय अथवा किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी इसके कुछ सामान्य तरीके हैं।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है।
  - यह **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** से अलग है जहाँ विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है।
- **FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है।**

- **FDI संबंधी मार्ग:**
  - **स्वचालित मार्ग:**
- इसमें विदेशी संस्था को सरकार या **RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक)** के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- भारत में गृह मंत्रालय (MHA) से सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होने पर स्वचालित मार्ग के माध्यम से गैर-महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% तक FDI की अनुमति है।
  - पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी भी निवेश के अलावा रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रहों, निजी सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक उड्डयन तथा खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश के लिये गृह मंत्रालय से पूर्व मंज़ूरी या सुरक्षा मंज़ूरी आवश्यक है।
  - **सरकारी मार्ग:**
- इसमें **विदेशी संस्था को सरकार से मंज़ूरी लेनी होती है।**
  - **विदेशी_निवेश_सुविधा_पोर्टल (FIFP)** अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करता है। यह **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)**, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

भारत के निर्यात एवं आयात की संरचना

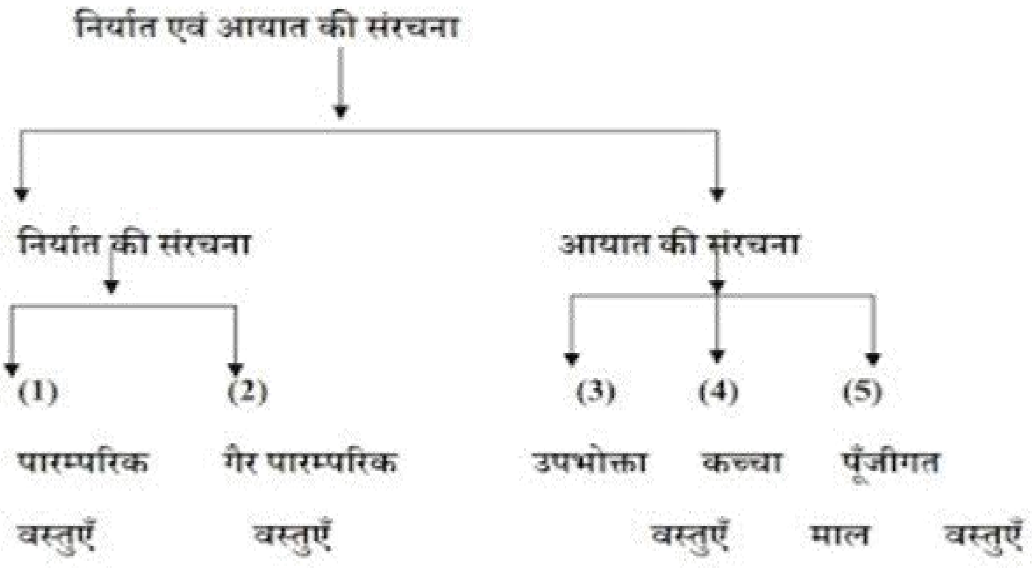

भारत के निर्यात एवं आयात की संरचना

1. पारम्परिक वस्तुएँः

पटसन तथा पटसन से निर्मित वस्तुएँ, कपास तथा कपास से निर्मित वस्तुएँ, चाय, तिलहन, चमड़े आदि पारम्परिक वस्तुएँ कहलाती हैं।

2. गैर- पारम्परिक वस्तुएँः

इंजीनियरिंग वस्तुएँ, हस्तकला की वस्तुएँ, मोती, बहुमूल्य पत्थर, जेवर एवं जवाहरात, लोहा एवं इस्पात, रसायन, बने-बनाए पोशाक, चीनी, मछली, काजू, काफी आदि को गैर-पारम्परिक वस्तुएँ कहते हैं ।

3. उपभोक्ता वस्तुएँः

वे वस्तुएँ जिनका प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता एवं सरकार के द्वारा उपभोग किया जाता है जैसे कागज, भोजन सामग्री, बिजली का सामान एवं औषधियाँ आदि ।

4. कच्चा माल एवं मध्यवर्ती वस्तुएँः

वे वस्तुएँ जिसका उपयोग उत्पादक एवं सरकार के द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है या बेचने के लिए खरीदा जाता है । उदाहरण के लिए खनिज तेल, कच्चा माल, रंग और रसायन, पटसन, गेहूँ, इत्यादि ।

5. पूँजीगत वस्तुएँः

उत्पादन के उत्पाद साधन के संचय को पूँजीगत वस्तु कहते हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन एवं मूल्य वृद्धि (value) में योगदान देते हैं। इन वस्तुओं के अन्तर्गत लेखांकन या वित्तीय वर्ष के अन्त में शेष वस्तुएं तथा इनके उत्पादन में वृद्धि करने वाले उत्पादन के साधनों को सम्मिलित किया जाता है। ये वस्तुएँ हैं प्लाण्ट और यंत्र, कच्चे माल का संचय, परिवहन आदि ।

Rajasthan service rule

अध्याय – 1

लघु शीर्षक और प्रारंभ

इन नियमों को "राजस्थान सेवा नियम" कहा जा सकता है। वे 1 अप्रैल, 1951 से लागू होते हैं।

नोट - एक व्यक्ति के मामले में, जो 1-4-1951 को अवकाश पर हो सकता है, ये नियम अवकाश से उसकी वापसी की तारीख से प्रभावी होंगे।

बशर्ते कि ये नियम लागू नहीं होंगे-

(क) भारत सरकार से या राजस्थान के अलावा भारत के किसी अन्य राज्य की सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को, जो उनकी मूल नियुक्तियों में उन पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगे,

(ख) राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पर,

(ग) उक्त उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों को, जो भारत के संविधान के के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे, या

(घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होंगे,

(ङ) संघ सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को,

(च) आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए व्यक्तियों के लिए,

(छ) प्रभारित कर्मचारियों को काम करने के लिए, अर्थात्, ऐसे व्यक्ति जो नियमित स्थापना पर नहीं हैं और कार्यों, कार्यों के रखरखाव, या राज्य व्यापार योजनाओं पर व्यय के प्रावधान से भुगतान किए जाते हैं और विनियोग 'अधिकारियों का वेतन' और 'स्थापना का वेतन' की बजट इकाई के तहत प्रावधानों के अलावा निधियों के लिए इसी तरह के अन्य प्रावधानों का भुगतान किया जाता है,

(ज) विनयोग "अधिकारियों का वेतन" और "स्थापना का वेतन" की बजट इकाई के तहत राज्य की संचित निधि से भुगतान किए गए व्यक्तियों को।

अध्याय – 2

परिभाषाएँ।

जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय न हो, इस अध्याय में परिभाषित शब्दों का उपयोग नियमों में इस अर्थ में किया जाता है: -

(1) **आयु:-** जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने, वापस लौटने या अवकाश पर रहने से रोकने की आवश्यकता होती है, तो जिस दिन वह उस आयु को प्राप्त करता है, उसे एक गैर-कार्य दिवस के रूप में माना जाता है, और सरकारी कर्मचारी को उस दिन से और सहित (जैसा भी मामला हो) सेवानिवृत्त होना, वापस लौटना, या अवकाश पर रहना बंद कर देना चाहिए ।

नोट्स:- 1. किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसकी जन्म तिथि की सही जानकारी नहीं है, नीचे दिए गए सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के पैरा 63 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए: -

(i) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जन्मतिथि बताने में असमर्थ है, लेकिन वर्ष, या वर्ष और जन्म के जन्म के महीने को बता सकता है, तो क्रमशः 1 जुलाई या महीने की 16 तारीख को उसके जन्म की तारीख के रूप में माना जा सकता है।

(ii) यदि वह केवल अपनी अनुमानित आयु बताने में सक्षम है, तो उसकी नियुक्ति की तारीख से उसकी आयु का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्षों की संख्या में कटौती करने के बाद उसकी जन्म तिथि को तदनुरूपी तारीख माना जा सकता है।

जिन मामलों में किसी अन्य मामले द्वारा नियुक्ति या सत्यापन पर जन्म तिथि को आयु से काट दिया गया है, उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(2) **प्रशिक्षु:--** का अर्थ है सरकारी सेवा में रोजगार की दृष्टि से किसी व्यापार या व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति, जो ऐसे प्रशिक्षण के दौरान सरकार से मासिक दरों पर वेतन प्राप्त करता है, लेकिन किसी विभाग के संवर्ग में एक वास्तविक रिक्ति में या उसके खिलाफ नियोजित नहीं है।

(3) **संविधान** - का अर्थ है भारत का संविधान।

(4) संवर्ग का अर्थ है- किसी सेवा की शक्ति या एक अलग इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के भाग से। चतुर्थ श्रेणी सेवा,--- का अर्थ वेतनमान संख्या 2 वाले पदों के संबंध में सेवा है, जैसा कि लागू वेतनमान नियमों में निहित है। चतुर्थ श्रेणी सेवा का अर्थ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 की अनुसूची IV (चतुर्थ

श्रेणी सेवाओं) में प्रगणित पदों के संबंध में सेवा और उन पदों पर सभी सेवा है जिनका वेतन यदि (निश्चित) या अधिकतम वेतन (यदि श्रेणीबद्ध या समयमान में) रु. + 1025 से अधिक नहीं है।

(5) **क्षतिपूरक भत्ताः** - का अर्थ है एक भत्ता जो विशेष परिस्थितियों द्वारा आवश्यक व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है जिसमें कर्तव्य का पालन किया जाता है। इसमें एक यात्रा भत्ता शामिल है, लेकिन इसमें एक संक्षेप भत्ता शामिल नहीं है और न ही भारत के बाहर किसी भी स्थान से समुद्र के माध्यम से या उससे एक मुफ्त मार्ग का अनुदान शामिल है।

(6) सक्षम प्राधिकारी-—किसी शक्ति के प्रयोग के संबंध में, राज्यपाल या किसी ऐसे प्राधिकारी से अभिप्रेत है, जिसे इन नियमों द्वारा या उसके अधीन शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

विभिन्न नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों की सूची इन नियमों के परिशिष्ट IX में दी गई है।

(7) समेकित निधि का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 266 के अधीन स्थापित संचित निधि।

(7-A) कम्युटेड लीव का अर्थ है नियम 93 के उप-नियम +(2) के तहत ली गई अवकाश ।

राजस्थान सरकार का फैसला

राजस्थान के भीतर अध्ययन या प्रशिक्षण के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को चलाने वाले राज्य शिक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाएगा, उन्हें इस उद्देश्य के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है: -

- बी.ई.डी., पाठ्यक्रम
- एस.टी.C पाठ्यक्रम
- शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र
- पुस्तकालय सेवा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।
- शिल्प शिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

(ii) किसी ऐसे छात्र के मामले में जो भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम से गुजरने पर सरकार की सेवा में नियुक्त होने का हकदार है, पाठ्यक्रम के संतोषजनक समापन और उसके कर्तव्यों की धारणा के बीच के अंतराल के दौरान।

(iii) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो राज्य सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार, सरकार या अन्य विनिदृष्ट स्टेशन के स्थान पर स्वयं को रिपोर्ट करने से पहले, ऐसी रिपोर्ट की तारीख और उस तारीख के बीच के अंतराल के दौरान, किसी विनिदृष्ट पद का प्रभार लेने के लिए आदेश प्राप्त नहीं करते हैं जिस पर वे अपने कर्तव्यों का प्रभार लेते हैं।

(iv) किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में एक अनिवार्य विभागीय परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता होती है या खुद को एक परीक्षा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, जिसका पास होना सरकारी कर्मचारी के विभाग या कार्यालय के सामान्य दायरे के भीतर सरकारी सेवा में प्राथमिकता की शर्त है परीक्षा के दिन या दिन और यात्रा के लिए आवश्यक कोई उचित समय यदि कोई हो, परीक्षा के स्थान से और से।

(v) अवकाश से लौटने वाले किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतीक्षा करने की अवधि या सरकार द्वारा उसे किसी विशेष पद पर तैनात करने के आदेशों के लिए अपने पुराने पद का प्रभार ग्रहण करने के बाद।

राजस्थान सरकार का फैसला।

(iv) लेखाकार परीक्षा के मामले में ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी के साथ व्यवहार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जो वैकल्पिक परीक्षाएं हैं, मूल नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(8) कर्तव्य- (क) कर्तव्य में शामिल हैं-

(i) एक परिवीक्षाधीन या प्रशिक्षु के रूप में सेवा, बशर्ते कि ऐसी सेवा की पुष्टि के बाद हो।

(ii) शामिल होने का समय। -

(iii) अवकाश से लौटने वाले सरकारी कर्मचारी के संबंध में उसी पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिन, जहां से वह अवकाश पर आगे बढ़ता है।

(iv) परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु

अपवादः - जोधपुर और जयपुर में जिला कोषागारों का प्रभार ग्रहण करने के मामले में, इस खंड के प्रयोजन के लिए अधिकतम दिन 7 दिन और अन्य जिला कोषागारों के लिए 3 दिन होंगे।

(ख) सरकार यह घोषणा करते हुए आदेश जारी कर सकती है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में, या उसके समान परिस्थितियों में, किसी सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य पर माना जा सकता है।

(i) भारत में शिक्षा या प्रशिक्षण के दौरान।

राजस्थान सरकार का फैसला

1. यह आदेश दिया जाता है कि केन्द्रीय आपातकालीन राहत प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (बी) (i) के तहत ड्यूटी पर माना जाएगा और वे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसके वे हकदार होंगे लेकिन प्रशिक्षण पर उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए।

(37) **समय मान वेतन** - का अर्थ है वह वेतन जो इन नियमों में निर्धारित किसी भी शर्त के अधीन रहते हुए, आवधिक वृद्धि द्वारा न्यूनतम से अधिकतम तक बढ़ जाता है।

समय के पैमाने को समान कहा जाता है यदि न्यूनतम, अधिकतम,वेतन वृद्धि की अवधि और समयमान में वृद्धि - की दर समान है।

एक पद को उसी समय के पैमाने पर कहा जाता है, जब दो समयमान समान होते हैं और- पद एक संवर्ग या एक के भीतर आते हैं। एक संवर्ग में वर्ग, ऐसा संवर्ग या वर्ग सभी को भरने के लिए बनाया गया है, लगभग समान चरित्र या डिग्री के कर्तव्यों वाले पद

जिम्मेदारी, एक सेवा या प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान के समूह में, ताकि किसी विशेष पद के धारक का वेतन उसकी स्थिति से निर्धारित होता है संवर्ग या वर्ग और इस तथ्य से नहीं कि वह उस पद को धारण करता है।

(38) **स्थानांतरण** का अर्थ है एक सरकारी कर्मचारी का एक मुख्यालय स्टेशन से संचलन जिसमें वह ऐसे किसी अन्य स्टेशन पर नियोजित है, या तो-

(क) किसी नए पद के कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए, या

(b) उसके मुख्यालय के परिवर्तन के परिणामस्वरूप।

(39)**अवकाश विभाग**- एक अवकाश विभाग एक विभाग, या एक विभाग का हिस्सा है, जिसके लिए नियमित छुट्टियों की अनुमति है, जिसके दौरान विभाग में सेवारत सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अनुमति है।

(40)**गैर-पेंशन योग्य स्थापना** से तात्पर्य एक ऐसे प्रतिष्ठान से है जिसका वेतन बजट में "अधिकारियों के वेतन" और "स्थापना के वेतन" के प्रावधान से बाहर नहीं किया जाता है, लेकिन किसी अन्य तरीके से किया जाता है ।

अध्याय - 3

सेवा की सामान्य शर्तें।

8. किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी 20-1-2006 को या उसके बाद सरकारी सेवा में सभी नियुक्तियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में बनाया जाएगा और परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, उसे ऐसी दरों पर निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं। परिवीक्षा प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद, उसे पद के वेतनमान में न्यूनतम वेतन की अनुमति दी जाएगी और परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि वार्षिक ग्रेड वृद्धि (ओं) के अनुदान के लिए गणना नहीं की जाएगी।

नोटः उन मामलों में जहां भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, आरपीएससी / भर्ती प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगाः -

(i) जहां भर्ती का अनुरोध आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी के पास पहले ही जा चुका है लेकिन आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी को अभी भी विज्ञापन जारी करना है या आवेदन भरने की अंतिम तिथि अभी समाप्त नहीं हुई हैः प्रशासनिक विभाग आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर सकता है कि संशोधन के आलोक में विज्ञापन जारी किया जाए। ऐसे मामलों में जहां विज्ञापन जारी किए गए हैं, लेकिन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे मामलों में, आरपीएससी/ भर्ती प्राधिकरण, विज्ञापन और पत्रों दोनों के माध्यम से, आवेदकों को संशोधित नियम के बारे में सूचित करना चाहिए और उसे प्रस्तावित परीक्षा से हटने का विकल्प देना चाहिए, यदि वह चाहता है, तो पूर्ण वापसी के आधार पर (आवेदन शुल्क की वापसी)।

(ii) यदि आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी को भर्ती का अनुरोध चला गया है और विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और उम्मीदवारों द्वारा प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई हैः ऐसे मामलों में, आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी, विज्ञापन और पत्रों दोनों के माध्यम से, आवेदकों को संशोधित नियम के बारे में सूचित करना चाहिए और उसे प्रस्तावित परीक्षा से हटने का विकल्प देना चाहिए। यदि वह / वह, तो वांछित, एक पूर्ण वापसी के आधार पर (आवेदन शुल्क की वापसी)।

(iii)जहां आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी ने पहले ही लिखित परीक्षा आयोजित कर ली है लेकिन साक्षात्कार आयोजित नहीं किए गए हैः आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी को सभी साक्षात्कारकर्ताओं को परिवर्तित नियमों के लिखित रूप में सूचित करना चाहिए और साक्षात्कार से पहले ही नौकरी

में उम्मीदवार बने रहने के लिए उपस्थित होने की उनकी इच्छा की लिखित स्वीकृति लेनी चाहिए।

(iv) जहां आरपीएससी/भर्ती प्राधिकारी ने साक्षात्कार आयोजित किए हैं और नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिशें की हैं: नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले, नियुक्ति प्राधिकारी को उम्मीदवारों को बदले हुए नियमों के बारे में सूचित करना चाहिए और नियुक्ति का अंतिम पत्र जारी करने से पहले नए नियमों के तहत नियुक्त होने के लिए अपनी सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

(v) जहां नियुक्ति पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं (दिनांक 20-01-2006 की डीओपी अधिसूचनाएं जारी करने से पहले), नियुक्तियां पुराने नियमों के तहत की जानी चाहिए।

(vi) जहां भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और 20-1-2006 से पहले नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, अदालत के स्थगन आदेशों या किसी अन्य उचित कारणों के कारण कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर, ऐसे शेष चयनकर्ताओं की नियुक्तियां 20-1-2006 से पहले लागू विभिन्न नियमों के प्रावधानों के तहत शासित होंगी।

8ए। पहली नियुक्ति पर आयु:-(1) जब तक कि किसी पद या वर्ग के पदों पर भर्ती को शासित करने वाले नियमों या सरकार के आदेशों में अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाता है, तब तक सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः 16 और (35 वर्ष) होगी।

अपवाद 1: - नाबालिगों या व्यक्तियों, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उन्हें उन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।

2: - जब तक विशेष पद / सेवा में भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए महिला उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

नोट्स :-

1. जिन नाबालिगों या व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें उन पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।
2. जब नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, एक अधिकारी या अस्थायी क्षमता में पहली बार में नियुक्त व्यक्ति को बाद की तारीख में स्थायी किए जाने की संभावना है, तो यदि आवश्यक हो, तो आयु सीमा से छूट के प्रश्न पर पहली नियुक्ति के समय विचार किया जाना चाहिए, हालांकि छूट के लिए औपचारिक मंजूरी उस समय दी जा सकती है जब व्यक्ति को सरकारी सेवा में पुष्टि की जाती है।
3. उन व्यक्तियों के मामले में जो उस समय 25 वर्ष से कम आयु के हैं जब वे एक अस्थायी या कार्यवाहक क्षमता में सरकारी सेवा में प्रवेश करते हैं, लेकिन पुष्टि के समय 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, आयु सीमा से छूट का प्रश्न ही नहीं उठता है और पुष्टि के समय किसी औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, वह सुपीरियर या चतुर्थ श्रेणी की सेवा में पेंशन योग्य सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5. संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के अधीन बनाए गए विभिन्न सेवाओं में भर्ती के संबंध में नियमों में निहित प्रवेश की आयु से संबंधित उपबंध, इस सीमा तक कि ये इन नियमों में निर्धारित आयु से भिन्न आयु निर्धारित करते हैं, इस नियम के दूसरे वाक्य के अर्थ के भीतर इस नियम में छूट के रूप में माना जाएगा।

राजस्थान सरकार के फैसले।

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी गई है।
2. जगहिरदारों (जगीरदार के पुत्रों सहित) के मामले में जिनके पास अपने निर्वाह के लिए कोई जागीर नहीं थी, जिन्हें अन्य मामलों में उपयुक्त पाए जाने पर जागीरों की बहाली के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा में ले जाया जाता है, उम्र में 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है यह रियायत पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।
3. उम्र से अधिक उम्र के व्यक्तियों की नियुक्ति की संभावना को कम करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जन्म तिथि को नई नियुक्तियों के सभी आदेशों में हमेशा इंगित किया जाना चाहिए।
4. यह आदेश दिया जाता है कि सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न पदों पर भारतीय सशस्त्र बलों के 'रिज़र्विस्टों' की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
5. सरकारी कर्मचारियों के नाम बदलने के लिए कोई समान प्रक्रिया नहीं है। इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी जो एक नया नाम अपनाना चाहता है या अपने मौजूदा नाम में कोई संशोधन करना चाहता है, उसे अपना नाम बदलकर औपचारिक रूप से परिवर्तन को अपनाने के लिए कहा जाना चाहिए। इसलिए कि दस्तावेज के निष्पादन में संदेह न हो, यह वांछनीय है कि इसे दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, अधिमानतः वे जो उस कार्यालय के प्रमुख को जानते हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवा कर रहा है। विलेख के निष्पादन के बाद एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र के साथ-साथ राजस्थान राज पत्र में भी परिवर्तन का प्रकाशन किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी द्वारा दोनों ही मामलों में अपने खर्च पर किया जा रहा प्रकाशन।

8A (2)

(क) 1-1-1979 को सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत व्यक्ति के संबंध में, सेवा पुस्तिका/सेवा रोल में दर्ज जन्म तिथि को राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति की जन्मतिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा, भले ही वह उस आधार या प्राधिकारी के आधार या प्राधिकारी के रूप में क्यों न हो जिस पर इसे दर्ज किया गया था। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8a (2) (बी) के प्रावधानों के अनुसार और वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के अनुसार जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए गए रिकॉर्ड के आधार पर प्रशासनिक विभाग द्वारा इस प्रकार दर्ज और स्वीकार की गई जन्मतिथि को बाद में नहीं बदला जाएगा।

(ख) (i) 1-1-79 को या उसके बाद नियुक्त किए गए व्यक्ति के संबंध में, इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी कर्मचारी की आयु उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि या किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाण पत्र के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी जहां सरकार के अधीन पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या कोई अन्य डिप्लोमा है। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और घोषित प्रमाण पत्र, उसके समकक्ष और उससे ऊपर।

(ii) उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में या शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रथम प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि का उल्लेख सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति के क्रम में किया जाएगा।

(iii) जहां सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष से नीचे हैं, वहां जन्म तिथि का निर्धारण नगरपालिका या पंचायत या स्कूल द्वारा जारी की गई जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के संदर्भ में उनके संबंधित रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टि के अनुसार किया जाएगा, और उपर्युक्त प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में, पहली नियुक्ति के समय आवेदक द्वारा घोषित जन्म तिथि को स्वीकार किया जा सकता है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि ज्ञात नहीं है और वह जन्म वर्ष बताने में सक्षम है, तो सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के नियम 63 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(ग) किसी कार्य प्रभारित कर्मचारी के मामले में, जिसे सरकार के अधीन प्रभारित कार्य प्रभारित पद को नियमित पद में परिवतत करने के कारण सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया गया है, तो कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में उसकी सेवा पुस्तिका/सेवा रोल में दर्ज जन्मतिथि को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और यह किसी भी परिवर्तन के अध्यधीन नहीं होगा।

9. नियुक्तियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का उत्पादन--इस नियम द्वारा प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना सरकारी सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सरकार अलग-अलग मामलों में, प्रमाण पत्र के उत्पादन को समाप्त कर सकती है, या सामान्य आदेशों द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के किसी भी निर्दिष्ट वर्ग को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

10. फिटनेस के चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रपत्र: - सरकारी सेवा के लिए फिटनेस का एक चिकित्सा प्रमाण पत्र निम्नलिखित रूप में होगा: -

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने जांच की है .... (AB) में रोजगार के लिए उम्मीदवार .... विभाग और यह पता नहीं लगा सकता है कि उसे कोई बीमारी है (संचारी या अन्यथा), संवैधानिक कमजोरी या शारीरिक दुर्बलता को छोड़कर .... में इसे के कार्यालय में रोजगार के लिए एक अयोग्यता नहीं मानता ......"

11. नियम 10 में निर्धारित प्रमाण पत्र पर और उससे ऊपर के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; एक जिला चिकित्सा अधिकारी का पद, बशर्ते कि:-

(क) एक महिला उम्मीदवार के मामले में, एक सक्षम प्राधिकारी एक महिला चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकता है,

(ख) एक उम्मीदवार जो तीन महीने या उससे अधिक समय तक लगातार अस्थायी क्षमता में नियोजित होने की संभावना है, या तो पहले या [अपनी नियुक्ति के समय चिकित्सा स्नातक या लाइसेंसी से एक प्रमाण पत्र] प्रस्तुत करेगा, लेकिन यदि उत्तरार्द्ध संदिग्ध है कि उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त है या नहीं, तो वह मामले को प्रधान चिकित्सा अधिकारी को संदर्भित करेगा। हालांकि, जब एक सरकारी कर्मचारी शुरू में तीन महीने से कम समय के लिए अस्थायी क्षमता में एक कार्यालय में नियोजित होता है, तो बाद में उस कार्यालय में बनाए रखा जाता है या बिना किसी अन्य कार्यालय में ब्रेक के स्थानांतरित कर दिया जाता है और सरकार के तहत निरंतर सेवा की कुल अवधि तीन महीने या उससे अधिक समय तक चलने की उम्मीद है, तो वह कार्यालय में अपने प्रतिधारण को मंजूरी देने वाले आदेशों की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। या नए कार्यालय में शामिल हो जाते हैं।

अध्याय - 6

1- भुगतान - सामान्य निर्देश

नियम 74 : दावों की प्रस्तुतिः

(क) भुगतान के लिए दावे : सरकार के विरुद्ध दावे सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावे, आकस्मिक व्यय, विविध व्यय, धनवापसी, सहायता अनुदान, भंडार, कार्य, औजार और संयंत्र और ऋणों और अग्रिमों के भुगतान से संबंधित हो सकते हैं। सरकारी खाते पर ये भुगतान स्थायी अग्रिम से या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ECS/NEFT) के माध्यम से किए जा सकते हैं, भौतिक रूप में ट्रेजरी में प्रस्तुत बिलों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए गए चेक और DDO द्वारा बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, मनी ऑर्डर, क्रेडिट नोट, ECS, बैंक ट्रांसफर या प्रक्रिया के अनुसार कोषागारों द्वारा सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (ECS/NEFT) के माध्यम से भुनाया जा सकता है। इन नियमों में निर्दिष्ट निर्देश और शर्तें। इम्प्रेस्ट, सीक्रेट सर्विस फंड, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की पेंशन योजनाओं, शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति और परिवहन वाउचर, जहां बैंक और डाकघर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, को छोड़कर सभी प्रकार के सरकारी भुगतान नकद में नहीं किए जाएंगे।

(1) ट्रेजरी में बिलों का पारित होनाः डीडीओ से बिल प्राप्त करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक / भौतिक रूप में प्रत्येक बिल को ट्रेजरी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से तारीख के साथ एक टोकन नंबर आवंटित किया जाएगा, उसके बाद बिलों की संबंधित लेखा परीक्षक / लेखाकार द्वारा जांच की जाएगी और यदि यह जांच सूची (ट्रेजरी नियम 2012 के नियम 6। (2) और अन्य निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पाया जाता है, तो बिल पारित किया जाएगा और ट्रेजरी वारंट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और कंप्यूटर और फिर बिल को भुगतान के लिए लेखाकार द्वारा कंप्यूटर में प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार ट्रेजरी कंप्यूटर सिस्टम और ट्रेजरी वारंट रजिस्टर में अंतिम प्रमाणीकरण के लिए टी.ओ./ ए.टी.ओ. को प्रस्तुत किया जाएगा। ई-सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिलों के मामले में, सिस्टम जनरेट किए गए ई-हस्ताक्षरित / डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों को एकल ट्रेजरी सिस्टम में एकल डीडीओ द्वारा एकल ट्रेजरी के लिए धक्का दिया जाएगा। इन ई-बिलों में बाहरी, आंतरिक के साथ-साथ हेड वार भुगतान और लाभार्थियों की संख्या की एक सारांश शीट होगी। ट्रेजरी कंप्यूटर सिस्टम बजट की उपलब्धता, डीडीओ के ई-साइन / डिजिटल साइन की शुद्धता, सर्वर स्तर के प्रमाणीकरण और बिलों के शेड्यूलिंग की जांच करेगा। डीडीओ भुगतान की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। ट्रेजरी सिस्टम ऑडिटरों / AAO / TO से ई-बिलों को प्रमाणित करना सुनिश्चित करेगा।

(2) चेक/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जारी करनाः बिल पारित करने के बाद, ट्रेजरी लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा करने के लिए बैंक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह भेजेगा या इसके खिलाफ एक चेक जारी करेगा और चेक डीडीओ को दिया जाएगा। भुगतान के लिए पारित बिलों को ट्रेजरी / उप-ट्रेजरी द्वारा बनाए रखा जाएगा।

(3) चेक की परिभाषाः एक चेक एक ऐसा लिखत है जो सरकारी लेन-देन के लिए प्राधिकृत बैंक पर लिखा जाता है, जिस पर प्रत्यायोजित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, जो बैंक को आदाता या प्राधिकृत व्यक्ति को उस राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

(i) **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह की परिभाषा-** इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सलाह एक डिजिटल हस्ताक्षरित लिखत है जिसे लाभार्थी के संबंधित बैंक खातों में राशि जमा करने के लिए बैंक के स्तर पर आगे डाउनलोड करने के लिए टीओ द्वारा प्रणाली पर अपलोड किया जाता है।

(4)(i) कोषागारों को चेकों की आपूर्ति :- सभी चेकों को निदेशक, कोषागारों और लेखों द्वारा सरकारी प्रतिभूति प्रेस से मुद्रित किया जाएगा। कोषागारों को आपूत के लिए अपेक्षित मुद्रित चेक बुक का पर्याप्त स्टॉक डीटीए द्वारा रखा जाएगा। ट्रेजरी (शहर) जयपुर इन सभी चेकों का स्टॉक रखने और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए केंद्रीय ट्रेजरी होगा। कोषागारों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार आवधिक रूप से (त्रैमासिक) आपूत प्राप्त की जाएगी।

(1) चेकों की वाषक बैंक/शाखावार मांग कोषागार अधिकारी द्वारा निर्धारित मांग नोट में दिसंबर के महीने में डीटीए को भेजी जाएगी।

(2) यह खजाना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी उप-कोषागारों से चेकों की वाषक मांग प्राप्त करे।

(3) प्राप्त चेकों की सावधानीपूर्वक जांच किए जाने के तुरंत बाद, प्रत्येक रोल में चेकों की संख्या भी गिनी जाएगी।

(ii) ***चेक का फ़ॉर्मेटः-***

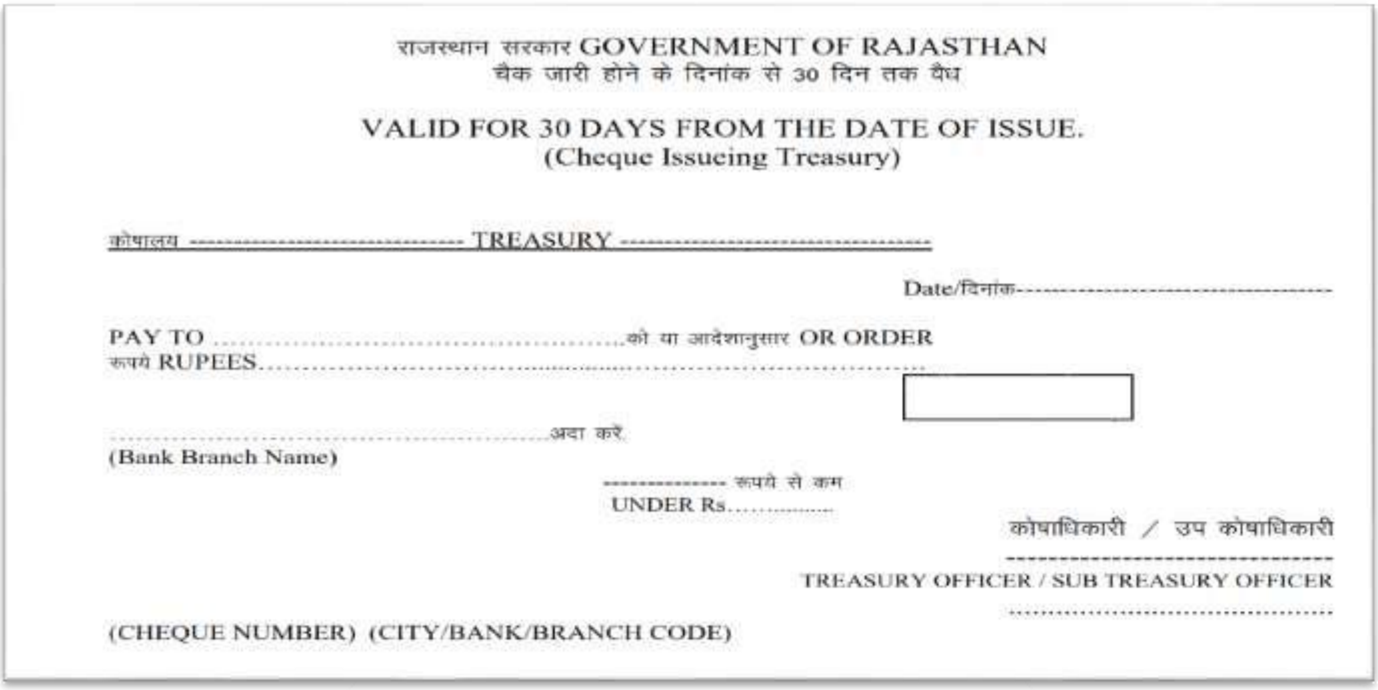
राजस्थान सरकार GOVERNMENT OF RAJASTHAN
चैक जारी होने के दिनांक से 30 दिन तक वैध

VALID FOR 30 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE.
(Cheque Issueing Treasury)

कोषालय ------------------------------- TREASURY ------------------------------------

Date/दिनांक-----------------------------------

PAY TO ....को या आदेशानुसार OR ORDER
रुपये RUPEES...

---अदा करें
(Bank Branch Name)

--------------- रुपये से कम
UNDER Rs..................

कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी

TREASURY OFFICER / SUB TREASURY OFFICER
....

(CHEQUE NUMBER) (CITY/BANK/BRANCH CODE)

(5) ***चेक की प्रतिभूति :***

(i) कोषागार (शहर) जयपुर से प्राप्त सभी चेक रोलों को सावधानीपूर्वक कोषागार/उप-कोषागार के दोहरे ताले में रखा जाएगा।

(ii) जब कोई चेक जारी करने के लिए निकाला जाता है, तो इसके मुद्रित नंबर, MICR code, बैंक शाखा के नाम की जांच करके यह पता लगाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा कि यह वास्तव में अधिसूचित और उपयोग में रोल से लिया गया था।

(iii) प्रत्येक बैंक शाखा या उप-ट्रेजरी के लिए अलग-अलग चेक का उपयोग किया जाएगा। किसी विशेष बैंक पर उपयोग के लिए प्राप्त चेक रोल दूसरे बैंक / उप-ट्रेजरी पर नहीं खींचे जाएंगे।

(iv) ट्रेजरी अधिकारी उस बैंक को सूचित करेगा जिस पर वह प्रत्येक चेक का चेक नंबर जारी करता है जिसका समय-समय पर उपयोग किया जा रहा है।

(v) चेक लेखक को प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन चेक रोल जारी किए जाएंगे, जो ट्रेजरी और उप-उपचार में ए.टी.ओ. के पद से कम नहीं होंगे। चेक लेखक दैनिक आधार पर जारी किए गए चेक, पारित चेक, रद्द किए गए चेक, खराब या खोए हुए चेक का पूरा रिकॉर्ड रखेगा। प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में चेक लेखक शेष चेकों को दिन के अंत में एकल लॉक में रखेगा।

(6) ***चेकों की वैधताः*** *सभी चेक प्राधिकरण की तारीख के बाद तीन महीने के भीतर किसी भी समय देय होंगे लेकिन 31 मार्च यानी उसी वित्तीय वर्ष के अंत के बाद नहीं।*

(7) ***चेक के लिखित में सावधानी : सामान्य निर्देश :***

(i) सभी चेकों में, देय राशि से थोड़ी अधिक राशि, दिए गए कॉलम में शब्दों में उल्लिखित की जाएगी, उदाहरण के लिए 20/- रुपये के लिए केवल तीस रुपये के तहत उल्लेख किया जाएगा। यह राशि नियम 79 जी.एफ एंड ए.आर के उप-नियम (3) में बिलों के लिए निर्धारित तरीके से लिखी जाएगी और एक हजार एक सौ के लिए ग्यारह सौ जैसे संक्षिप्त रूपों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) चेक में सभी सुधार और परिवर्तन जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

(iii) कोषागार डीडीओ द्वारा प्रस्तुत एक बिल के विरुद्ध एक चेक जारी करेगा। चेक डीडीओ के कोड नंबर और पदनाम के साथ जारी किया जाएगा।

(iv) टोकन नंबर, बिल नंबर, तारीख, ऑडिटर नंबर, वारंट नंबर और चेक नंबर की प्रविष्टि ट्रेजरी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से चेक पर मुद्रित की जाएगी।

(8) ***तीसरे पक्ष को भुगतानः*** *यदि डीडीओ ट्रेजरी को फॉर्म जीए 106 में सलाह जारी करता है, तो भुगतान, आदाता और तीसरे पक्ष के बैंक विवरण का पूरा विवरण देता है, तो ट्रेजरी अधिकारी तीसरे पक्ष के बैंक खाते में ईसीएस / एनईएफटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करेगा या चेक तीसरे पक्ष के पक्ष में जारी किया जा सकता है। चेक डीडीओ द्वारा एकत्र किया जाएगा और यदि इसे संबंधित पक्ष द्वारा भुनाया नहीं जाता है, तो डीडीओ ट्रेजरी / उप ट्रेजरी*

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/3ewvb9

Online order करें – https://shorturl.at/dtwEK

Call करें - 9887809083